

22/8/20

वकील वादी / उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्रा०  
पत्र पेश कर वाद को ~~खारिज~~ / नोट प्रेस में खारिज  
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसला शुमार नं. से कम की आकर दाखिल  
दफ्तर हो।

✓